राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या– 57/2023
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/163
3. दायर दिनांक–12.09.2023
4. निर्णय दिनांक– 25.10.2024

उनवानी–

1. उमा राम पुत्र भागू राम
2. केशर देवी पुत्री भागू राम
3. धापू देवी पुत्री भागू राम
4. हीरा लाल पुत्र भागू राम

सर्व जाति गुर्जर सर्वनिवासीगण ग्राम गुढ़ा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

....वादीगण

बनाम

1. मालू उर्फ मालाराम दत्तक पुत्र चन्द्राराम प्राकृतिक पुत्र भागूराम जाति गुर्जर नि0 ग्राम गुढ़ा तह0 रूपनगढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....प्रतिवादीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी वकील वादी/प्रार्थी
2 श्री महेन्द्र डाबरिया अधि0 प्रतिवादी संख्या 1
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की स्वामित्व, आधिपत्य एवं संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम झाग पटवार हल्का झाग भू–अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 143 के ख0न0 136 रकबा 1.7798 है0 भूमि है जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रत्येक का हिस्सा अर्न्तनिहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 1 का नाम व पिता का नाम ओमा पुत्र भागलिया दर्ज है एवं वादी संख्या 2 से 4 के पिता का नाम सहवन से लिपिकिय त्रुटिवश भागलिया का इन्द्राज हो गया है जबकि वादी संख्या 1 का नाम व पिता का सही एवं वास्तविक नाम उमाराम पुत्र भागू राम एवं वादी संख्या 2 से 4 के पिता का सही एवं वास्तविक नाम भागूराम है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 का नाम व पिता का नाम ओमा पुत्र भागलिया दर्ज है एवं वादी संख्या 2 से 4 के पिता का नाम सहवन से लिपिकिय त्रुटिवश भागलिया का अंकन हो गया है जिसको दुरूस्त करवा कर घोषणात्मक डिकी प्राप्त करवा कर वादी संख्या 1 का नाम उमाराम व वादी संख्या 1 से 4 के पिता का नाम भागूराम की इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहते है। इसलिए वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में वादी संख्या 1 का नाम व पिता का नाम उमाराम पुत्र भागू राम तथा वादी संख्या 2 से 4 के पिता का नाम भागू राम दर्ज है। वादीगण की कृषि भूमि में वादीगण के पिता का सहवन नाम भागलिया अंकित होने से व अन्य दस्तावेजों में भागू राम अंकित होने से वादीगण को किसान कार्ड बनवाने में [illegible] कृषि भूमि के विकास, सुधार करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली [illegible] में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादी संख्या 1 मालू उर्फ मालाराम के [illegible] पिता भागू राम है तथा प्रतिवादी संख्या 1 चन्द्राराम के गोद चला गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसके प्राकृतिक पिता की जमीन में सहवन से नाम खातेदारी में दर्ज हो गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 गोद [illegible] से उसके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में किसी तरह का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहता है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/5 को वादी संख्या 1 से 4 में समायोजित किये जाने एवं प्रत्येक वादीगण को 1/4 हिस्से के खातेदार घोषित कर घोषणात्मक डिकी बहस वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 पारित की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.11.05 14:44:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार ओमा पुत्र भागलिया के स्थान उमाराम पुत्र भागूराम व वादीगण 2 लगायत 4 के पिता का नाम भागलिया के स्थान पर भागूराम का अंकन किया जाना उचित होगा। बिन्दु संख्या 9 (2) के तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में वकील वादी की ओर से वादी संख्या 4 का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किये जिस पर वादी के बयान लिये गये।

प्रकरण में वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का गलत नाम ओमा पुत्र भागलिया के स्थान पर उमाराम पुत्र भागूराम व वादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता का नाम भागलिया के स्थान पर भागूराम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु वादीगण के पक्ष में आदेश फरमाने की कृपा करावें व प्रतिवादी संख्या 1 मालू उर्फ मालाराम का चन्द्राराम के गोद चले जाने के कारण प्राकृतिक पिता की कृषि भूमि में सहवन से नाम दर्ज हो गया है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद वर्णित भूमि में से उसका नाम डिलीट किया जाकर उसके हिस्से की 1/5 भूमि को वादी संख्या 1 से 4 में समायोजित किये जाने की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में फर्द दस्तावेज व साक्ष्य यथा आधार कार्ड, ग्राम पंचायत भिलावट द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पेश किया है जिसमें वादीगण के सही नाम की पुष्टि होना जाहिर है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर वादी संख्या 1 का नाम ओमा पुत्र भागलिया के स्थान पर उमाराम पुत्र भागूराम व वादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता का नाम भागलिया के स्थान पर भागूराम का अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झाग के खाता संख्या नया 143 के ख0न0 136 रकबा 1.7798 है0 भूमि में वादी संख्या 1 के दर्ज नाम ओमा पुत्र भागलिया के स्थान पर उमाराम पुत्र भागूराम व वादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता का नाम भागलिया के स्थान पर भागूराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की भूमि में उसका नाम डिलीट कर व उसके हिस्से की भूमि का समायोजन वादी संख्या 1 से 4 के किये जाने का अनुतोष शुन्य व निराधार है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

Mahima

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.11.05 14:44:53 IST
Reason: SelfAttested